मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ
पत्र संख्याः- पॉच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- अगस्त 14, 2019

सेवा मे,

धर्मवीर सिंह पुत्र श्री सहदेव सिंह
अनुक्रमांक- 102060575
निवासी- ग्राम-मसेल्या किरावली पोस्ट- रुझौली थाना- कागारौल
जनपद- आगरा- 283122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य मे पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखो की समीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/2060 दिनाक 14.08.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद मे दिनाक 22.08.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनाक 21.08.2019 को सायकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एव पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नही होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप - 1 एवं 2 मे क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धो का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ मे योजित विशेष अपील संख्या -210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 मे एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

14/08/19

पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनाक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 22.08.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

SHOT ON AI DUAL

Scanned by CamScanner